राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1292/2012/सवाईमाधोपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हरीशचन्द्र नानकराम,
रेलवे कॉलोनी, सवाईमाधोपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10.08.2017

निर्णय

अपीलार्थी विभाग द्वारा यह उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 94/उपा–अपील्स/11–12 में पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–गंगापुरसिटी (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25 व 61 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल व गोदाम से मिलें माल का भौतिक सत्यापन किया गया। वक्त सर्वेक्षण माल स्टॉक से कम पाया गया। प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। वक्त सर्वेक्षण जो माल (तम्बाकू उत्पाद) कम पाया गया जो दिनांक 07.03.2011 से प्रथम बिन्दू पर कर देय था। प्रत्यर्थी ने दोनों वर्षो के बहियात वक्त जांच के समय कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये थे। व्यवसायी द्वारा जांच के समय जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये उनके अनुसार वर्ष 2010–11 में व्यवसायी द्वारा क्रय किये गये तम्बाकू उत्पाद को करयोग्य माना जाना उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि जो तम्बाकू उत्पाद वक्त सर्वेक्षण कम पाया गया, वह करयोग्य था अथवा प्रथम बिन्दु पर कर चुका था, चूंकि कर निर्धारण ने अपने आदेश में लिखा है कि लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं होने के कारण व्यवसायी का जवाब अस्वीकार किया जाता है। अतः प्रकरण में जांच का विषय यहीं है कि वक्त सर्वेक्षण कम पाया गया माल प्रथम बिन्दु पर कर योग्य था अथवा नहीं इसका सत्यापन लेखा पुस्तकों से संभव है। इसलिये इस प्रकरण की पुनः बहियात से जांच किया जाना आवश्यक है। विभागीय उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने एवं पुनः जांच हेतु सहमति दी।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवसायी की लेखा पुस्तकों से जांच कर पुनः आख्यात्मक आदेश पारित करें। परिणामतः राजस्व की अपील कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित की जाती है एवं व्यवसायी को निर्देश दिये जाते है कि वह दिनांक 25.09.2017 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष रेकार्ड सहित उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य